201

R. 456-I/16 (नारसिंहपुर)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED

5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

10 रु. कोर्ट फीस Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED

समक्ष न्यायालय : श्रीमान् रेवेन्यू बोर्ड मध्यप्रदेश ग्वालियर म०प्र०

पुनरीक्षण याचिका क्र०- /

आवेदक : रमेश प्रसाद आत्मज राजा भईया ,
निवासी- ग्राम सिंहपुर छोटा, तहसील गाडरवारा,
जिला नरसिंहपुर {म०प्र०}

विरुद्ध

7

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ...
13 JAN 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

अनावेदकगण : {1} अखिल कुमार आत्मज नन्हेलाल कौरव,
निवासी सिंहपुर छोटा तहसील गाडरवारा,
जिला नरसिंहपुर ।

{2} राजस्व निरीक्षक मण्डल बाबई कला,
तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर ।

{3} तहसीलदार महोदय, "सर्किल पीपलपानी"
तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर म०प्र०

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता :

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 456-एक/2016 निगरानी जिला नरसिंगपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/ अभिभाषकों के हस्ताक्षर
31-5-16	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल वावई कलॉ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर व्दारा प्रकरण कमांक 62 अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 25-6-2015 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि राजस्व निरीक्षक ने स्वस्तर से सीमांकन न करते हुये पटवारी से सीमांकन कराया है एंव पटवारी ने कब सीमांकन कर दिया, आवेदक के मेढ़िया कृषक होते हुये भी व्यक्तिगत सूचना नहीं दी एंव आवेदक को सीमांकन की जानकारी तब हुई, जब मेढ़िया कृषक अखिल कुमार आवेदक की भूमि जोतने एंव कब्जा करने दिनांक 9-10-15 को खेत पर पहुंचा तब आवेदक ने पता करके सीमांकन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की एंव यह निगरानी प्रस्तुत की है जिसे स्वीकार किया जाय। शासन के पैनल लायर ने निगरानी अवधि वाह्य होने से निरस्त करने की मांग रखी। 4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया	

गया कि ग्राम सिगपुर धोरा की भूमि सर्वे क्रमांक 18/4 एंव 19/3 का सीमांकन राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 10-6-15 से पटवारी हलका नंबर 56 एंव 48 ने किया है एंव सीमांकन रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक को प्रस्तुत की है। हलका पटवारी ने दिनांक 29-6-15 को सीमांकन किये जाने का सूचना पत्र जारी किया है सूचना पत्र पर जिन मेढ़िया कास्तकारों के नाम अंकित कर सूचना दी है उनमें आवेदक का नाम अंकित नहीं है जिसके कारण आवेदक व्दारा अवधि विधान की धारा-5 में दिया गया विवरण समाधानकारक होने से विलम्ब क्षमा योग्य है। सूचना पत्र पर अंकित दिनांक 29-6-15 में काटपीट की गई है, जबकि राजस्व निरीक्षक का सीमांकन आदेश दिनांक 25-6-15 का है एंव राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन आदेश दि. 25-6-15 में इस प्रकार अंकित किया है

" आवेदक व चोहददी से लगे कृषकों को सूचना देकर दिनांक 23-6-15 को सीमांकन कर सीमांकन दल व्दारा सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा फील्ड बुक प्रस्तुत की गई।"

पटवारी व्दारा मेढ़िया कास्तकारों को जब 29-6-15 को सीमांकन तिथी निर्धारित कर सूचना पत्र जारी किया गया है तब 23-6-15 को सीमांकन कर देना संदेह उत्पन्न करता है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 104-पटवारी के कर्तव्यों के नियम 1 लगायत 32 निर्धारित - नियमों में पटवारी के कर्तव्यों में किसी भूमि के भू भाग को सीमांकित करके सीमाचिन्हित कार्यवाही करना निर्धारित नहीं है।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 456-एक/2016 निगरानी जिला नरसिंगपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/ अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	स्पष्ट है कि पटवारी हलका नंबर 56 एंव 48 ने संहिता की धारा 104 सहपठित 129 के परिधि से वाहर जाकर सीमांकन कार्यवाही की है ।	
	5/ प्रकरण में विचार योग्य है कि जब संहिता में सीमांकन कार्यवाही करने के लिये पटवारी सशक्त नहीं है , सीमांकन कार्यवाही करने हेतु कौन सक्षमहै ?	
	1. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)- धारा 129- सर्वेक्षण सॅख्यॉक या उपखंड या भूखंड संख्यॉक का सीमाकन - (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिये सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यॉक की या उपखंड या भू-खंड संख्यॉक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा।	
	2. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)- धारा 129- असाधारण राजपत्र दिनांक 23-12-10 में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एफ-2-23-2010 दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के अनुसार - इस धारा के अधीन तहसीलदार की शक्तियॉ समस्त राजस्व निरीक्षकों को उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की गई है।	
	3. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)- धारा 129- इस धारा के अधीन पटवारी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। (नाथूराम विरुद्ध नरोत्तम कुमार 1971 रा0नि0 252 से अनुसरित)	
	अतएव दूषित कार्यवाही के आधार पर राजस्व निरीक्षक	

मण्डल वावई कलॉ तहसील गाडरवारा व्दारा प्रकरण क्रमांक 62 अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25–6–2015 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल वावई कलॉ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 62 अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25–6–2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य